न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारी:–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–05 / 2024

प्रार्थी:–

राजू उर्फ रमेश पुत्र हरजी राम उर्फ हरिया जाति माली निवासी –रामपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–10.03.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 493 / 154 रकबा 1.4650 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, बैंक खाता, परिचय पत्र, भामाशाह,सहकारी किसान कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''राजू पुत्र हरजीराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''रमेश पुत्र हरजीराम उर्फ हरिया '' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण तर्क किये जाने के निवेदन पर विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को तर्क किया गया। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 957 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में [illegible] दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड,पेनकार्ड,आधारकार्ड की प्रति पेश कि[illegible]

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''राजू पुत्र हरजीराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 493 / 154 रकबा 1.4650 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा तहसील समदडी में फौतदगी का नामान्तरकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:07 IST
Reason: SelfAttested

र्ज करते समय प्रार्थी का नाम ''रमेश कुमार पुत्र हरजीराम उर्फ हरिया'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के स्वंय के व प्रार्थी की बहिन मकादेवी पत्नी जबराराम निवासी रामपुरा हाल मायलावास के बयान कलमबद्व करवाये।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड,पेनकार्ड,आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''राजू पुत्र हरजीराम'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''रमेश पुत्र हरजीराम उर्फ हरिया'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या संख्या 493/154 रकबा 1.4650 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''रमेश पुत्र हरजीराम उर्फ हरिया'' के स्थान पर ''राजू पुत्र हरजीराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना(बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:07 IST
Reason: SelfAttested